न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 16/2022/अपील/एलआरएक्ट/कैंप कोटा बून्दी

दायरा दिनांक 11.03.2022

अन्तर्गत धाराः अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

1. बरजी बाई बेवा स्व. श्री श्रीराम जाति बैरवा निवासी ग्राम रानीपुरा (देवा का झौपड़ा) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. मनभर बाई पुत्री स्व. श्री श्रीराम हाल पत्नी शंकर जाति बैरवा निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी
3. ग्यारसी बाई पुत्री श्री श्रीराम हाल पत्नी पोखर जाति बैरवा निवासी ग्राम रूघनाथपुरा तहसील नैनवाँ जिला बून्दी
4. संतरा पुत्री श्री श्रीराम हाल पत्नी श्री रामदयाल जाति बैरवा निवासी ग्राम तार का खेड़ा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
5. नटी पुत्री श्री श्रीराम हाल पत्नी मोरपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम भजनेरी तहसील नैनवाँ जिला बून्दी
6. सत्यनारायण पुत्र स्व. श्री श्रीराम जाति बैरवा निवासी ग्राम रानीपुरा (देवा का झौपड़ा) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. घासी पुत्र स्व. श्री श्रीराम जाति बैरवा निवासी ग्राम रानीपुरा (देवा का झौपड़ा) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

...रेस्पो0

उपस्थित : श्री महेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक –अपीलार्थी
रेस्पो0 पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 16.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 87/प्रा0पत्र/2016 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली बनाम श्रीराम आ0 मन्ना में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार हिण्डोली द्वारा नियम 17 ए राजस्थान उपनिवेशन लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन नियम 1968 के तहत इस आशय का प्रार्थना प्रस्तुत किया गया कि आवंटी/वारिसान श्रीराम आ० मन्ना जाति बैरवा निवासी रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के नाम वाके ग्राम रानीपुरा में ख०स० 1850/44 रकबा 3.00 बीघा भूमि आवंटन हुई थी, जिस पर मौके पर उक्त भूमि में आवंटी /वारिसान का कब्जा काश्त नही है, जो कि आवंटन शर्तों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटी/वारिसान का कब्जा काश्त न हीं होना वर्णित करते हुए आवंटन शर्तो की उल्लंघन होने से दिनांक 24.06.2016 से आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.06.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.06.2016 वस्तुस्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 1977 के आवंटन को मात्र कयास के आधार पर खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में आवंटी की तामील की रिपोर्ट आये बिना ही उक्त आवंटन खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है, जबकि आवंटी श्री राम का स्वर्गवास हो चुका है तथा अपीलार्थीगण आंवटी के वारिसान है। आवंटी व आवंटी के परिवार की सही रूप से जानकारी करवाये बिना ही, उक्त आवंटन को निरस्त करने में भारी काननी भूल की है। आवंटी की मृत्यु के पश्चात् से आवंटी के वारिसान उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। आवंटी के वारिसान को तलाश कर किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। इस प्रकार 43 वर्ष पुराने आवंटन को मात्र कयास के आधार पर पर शर्तों की पालना न होना लिखकर खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है। उक्त भूमि आवंटित व्यक्ति श्रीराम के गैर खातेदारी में चली आ रही है। राजस्व अधिकारियों का कर्तव्य था कि तीन वर्ष के भीतर उक्त आवंटित भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में परिवर्तित किया जाना चाहिए था, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अधिकारियों की कमी को न देखकर निर्णय देने में भारी कानूनी भूल की है। इस प्रकार निर्णय दिनांक 24.06.2016 के आधार पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा इन्तकाल संख्या 2070 से सिवाय चक कर दी गई है। आवंटी श्रीराम की मृत्यु हो चुकी है और बिना मृत्यु रिपोर्ट मंगवाये मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय

माननीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

दिनांक 24.06.2016 को निरस्त करते हुए अपीलार्थीगण के आवंटन दिनांक 12.10.1977 को बहाल फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, क्योंकि आवंटी श्रीराम की मृत्यु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 से पूर्व हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में आवंटी के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। अपीलार्थीगण आवंटी के विधिक वारिसान है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कायम मुकामान नहीं बनाये गये हैं। आवंटी को 43 वर्ष पूर्व आवंटन हुआ था, जिसे बिना किसी आधार के आवंटन शर्तों का उल्लंघन होना मानते हुए खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अपीलार्थीगण आवंटी के विधिक वारिसान है, जो आजदिनांक भी वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.06.2016 निरस्त करते हुए उक्त आवंटन बहाल रखा जाने का आदेश फरमाया जाने का अनुरोध किया गया।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

6. प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। मियाद कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर कथन किया कि निर्णय दिनांक 24.06.2016 को हुआ, परंतु काश्त का मुआवजा लेने जाने हेतु पटवारी के पास तलाश करने पर अपीलार्थीगण का आवंटन खारिज होना बताया गया। इसके उपरांत दिनांक 28.01.2022 को नकल निर्णय प्राप्त की जाकर अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील में हुये विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना–पत्र के सबंध में

न्यायहित विलम्ब की अवधि को क्षम्य किया जाकर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार हिण्डोली द्वारा नियम 17 ए राजस्थान उपनिवेशन लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन नियम 1968 के तहत इस आशय का प्रार्थना प्रस्तुत किया गया कि आवंटी/वारिसान श्रीराम आ० मन्ना जाति बैरवा निवासी रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के नाम वाके ग्राम रानीपुरा में ख०स० 1850/44 रकबा 3.00 बीघा भूमि आवंटन हुई थी, जिस पर मौके पर उक्त भूमि में आवंटी /वारिसान का कब्जा काश्त नही है, जो कि आवंटन शर्तों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटी/वारिसान का कब्जा काश्त न हीं होना वर्णित करते हुए आवंटन शर्तों की उल्लंघन होने से दिनांक 24.06.2016 से आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थीगण का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, क्योंकि आवंटी श्रीराम की मृत्यु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 से पूर्व हो चुकी थी। अपीलार्थीगण आवंटी के विधिक वारिसान है तथा प्रकरण में कायम मुकामान नहीं बनाये गये हैं। आवंटी को 43 वर्ष पूर्व आवंटन हुआ था, जिसे बिना किसी आधार के आवंटन शर्तों का उल्लंघन होना मानते हुए खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। जबकि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 24.06.2016 को पारित किया गया है तथा आवंटी की इसके पूर्व ही मृत्यु होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को आवंटी के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, जो नहीं बनाया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2071–2074 अनुसार खसरा संख्या 1850/44 रकबा 3.00 बीघा पर फसल गेहूं काश्त होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज प्रकरण में आवंटी श्रीराम को दिनांक 29.02.2016 को नोटिस जारी किया गया, जो इस रिपोर्ट के साथ अदम तामील प्राप्त हुआ कि "श्रीराम पुत्र मन्ना बैरवा की गांव में तलाश की गई लेकिन इनका कोई पता नहीं चला"। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी तहसीलदार हिण्डोली को आवंटी के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए था। इस संबंध में स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेशिका दिनांक 21.03.2016 से तहसीलदार हिण्डोली को अप्रार्थी/आवंटी के सही

पते हेतु लिखा जाने हेतु आदेशित किया गया था। इसके उपरांत बिना पक्षकार को तलब किये ही निर्णय दिनांक 24.06.2016 पारित किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिविरूद्ध होने से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली का निर्णय दिनांक 24.06.2016 अपास्त किया जाता है। आवंटन आदेश दिनांक 12.10.1977 खसरा सं0 1850/44 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम रानीपुरा, तहसील हिण्डोली बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा